न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 03/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मोटाराम पुत्र खरथाराम जाति जाट निवासी मीठीसर, (बोला) तहसील व जिला बाडमेर।		1 गिरधारीराम पुत्र भगवानाराम 2 पीराराम पुत्र हिमथाराम 3 मेहराराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मीठीसर, (बोला), तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 15/09/20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मीठीसर पटवार क्षैत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 118/66 रकबा 15.06 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 119/66 व 120/66 में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शाये अनुसार भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा मीठीसर पटवार क्षैत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 118/66 रकबा 15.06 बीघा भूमि में से सरकारी मार्ग तक आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि मौजा मीठीसर पटवार क्षैत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 119/66 रकबा 15.16 बीघा व खसरा संख्या 120/66 रकबा 15.16 बीघा भूमि में से रास्ते हेतु चाही गयी है, जो सड़क मीठीसर से बिबड़ा जाने वाली सड़क से जुड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास दुसरे रास्ते का विकल्प उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण की भूमि मौजा मीठीसर पटवार क्षैत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 119/66 रकबा 15.16 बीघा व खसरा संख्या 120/66 रकबा 15.16 बीघा भूमि में से रकबा 0.09 बीघा भूमि बनती है। तहसीलदार बाडमेर ने मौजा मीठीसर पटवार क्षैत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 120/66 व खसरा संख्या 119/66 में निम्नानुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :–

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा	शेष रकबा	लगान	डीएलसी दर प्रति बीघा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गिरधारीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट रहन जेटीजीबी शाखा बाडमेर	120/66	15.16	0.04	15.12	0.88	65400/– रू सड़क पर
2	विराराम पुत्र हिमथाराम मेराराम पुत्र पेमाराम जाति जाट सा. देह खातेदार मेराराम का हि. आरएमजीबी शाखा बाडमेर में रहन	119/66	15.16	0.05	15.11	0.88	42700/– रू सड़क से दूर

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नही पाया गया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

प्रकट तथ्यों एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा मीठीसर पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 120/66 रकबा 15.16 बीघा भूमि में से रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में से सरकारी मार्ग तक जाने हेतु रकबा 0.04 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की खसरा संख्या 119/66 रकबा 15.16 बीघा भूमि में से रकबा 0.05 बीघा जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' में बरंग लाल दर्शाई गई है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी 01 से 03 को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रशान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15/09/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner